



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय
(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. देवराज/ Prof. Devraj
अध्यक्ष, प्रवेश समिति
Chairman, Admission Committee

Mobile : 09665976661
पत्रांक: 005/प्र.स./२०१८-१७/०२
दिनांक: 20.12.2017

प्रवेश-समिति (सत्र 2018-19) की पहली बैठक दिनांक 28.12.2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे भाषा विद्यापीठ के सभागार में निर्धारित की गई है। यह बैठक दो चरणों में निम्नानुसार संपन्न होगी।

पहला चरण : माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश-नीति के संबंध में वक्तव्य

दूसरा चरण : प्रवेश-समिति के सदस्यों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर अभिमत और सुझाव :

1. प्रवेश संबंधी नियम
2. प्रवेश-प्रक्रिया
3. शोध कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हेतु विषय-क्षेत्र
4. एम. ए. पाठ्यक्रम संचालन हेतु न्यूनतम प्रवेश संख्या
5. विवरणिका एवं प्रवेश विज्ञापन
6. आवेदन-पत्र एवं आवेदन प्रक्रिया
7. परीक्षा केंद्र
8. अन्य विषय

समस्त सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय
देवराज
20/12/17
(देवराज)

प्रति : समस्त सदस्य, प्रवेश समिति
प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. कुलपति महोदय
2. प्रतिकुलपति महोदय
3. कुलसचिव महोदय
4. प्रभारी, अकादमिक विभाग
5. प्रभारी, परीक्षा विभाग
6. प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी करने हेतु)